अध्याय 4

भारतीय लेखाकंन मानकों का आईएफआरएस के साथ सम्मिलन

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 भारत में सम्मिलन हेतु मान्यता

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 13 मई 2008 को सूचना दी कि भारतीय लेखांकन मानकों के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोटिंग मानकों (आईएफआरएस) से मिलाने के लिए 2001 में पहल शुरू की गई थी और 2006 में लेखांकन मानकों की अधिसूचना से लागू आईएफआरएस के साथ 2011 तक सम्मिलन के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गई वह पहल जारी रहेगी। एक संशोधित रोड़ मैप एमसीए के विचाराधीन था।

4.2 भारत में सम्मिलन प्रक्रिया

4.2.1 प्रशासनिक मंत्रालय

भारत में, आईएफआरएस के साथ सम्मिलन की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से सभी संबंधित पणधारियों के साथ विस्तृत परामर्श तथा प्रतिभागिता अभ्यासों के माध्यम से एमसीए द्वारा की गई है।

4.2.2 रोड़ मैप

जुलाई 2009 में एमसीए के सचिव की अध्यक्षता के अन्तर्गत सम्मिलन के लिए रोड़ मैप तैयार करने के नियामक निकायों (भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण, पैन्शन फन्ड नियामक तथा विकास प्राधिकरण), वित्त मंत्रालय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), चैम्बर्स एवं उद्योग निकायों तथा विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ एक कोर ग्रुप का गठन किया गया था। कोर ग्रुप के सहायतार्थ दो उप वर्ग थे। कोर ग्रुप ने चरणों में सम्मिलन लेखांकन मानकों (इंड-एएस) के लागू करने के लिए विभिन्न नियामकों और रोड़ मैप द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित परिवर्तनों को सूचित किया था। मार्च 2010 में एमसीए द्वारा घोषित रोड़ मैप के अनुसार, 1 अप्रैल 2011 के वित्तीय वर्ष से प्रारंभिक चरणों में कम्पनियों की विशिष्ट श्रेणी के लिए इन्ड-एस लागू किये जाने थे। इन्ड-एएस अकेले तथा समेकित दोनों वित्तीय विवरणियों के लिए लागू किये जाने थे।

4.2.3 इन्ड-एएस की अधिसूचना

विधि तथा न्याय मंत्रालय के विद्यायी विभाग द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात् कम के कम 35 परिवर्तित सम्मिलन लेखांकन मानक ('इन्ड-एएस' के रूप में जाने जाते हैं) एमसीए द्वारा फरवरी 2011 में अपनी बेबसाइट पर दर्शाये जा चुके हैं। फिर भी, इन्ड-एएस को लागू करने की तिथि अधिसूचित की जानी थी। इन्ड-एएस,आईसीएआई द्वारा मसौदा तैयार करने, लेखांकन मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) द्वारा अनुमोदन, विद्यायी एमसीए में तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण, मंत्री द्वारा अनुमोदन, एमसीए तथा विधि तथा न्याय मंत्रालय के व्यवस्थापिका विभाग द्वारा पुनरीक्षण की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं।

4.2.4 कारपोरेट विधि में परिवर्तन

फरवरी 2011 में, एमसीए ने कंपनी अधिनियम 1956, की संशोधित अनुसूची VI अधिसूचित की जिसमे संशोधन शामिल थे कि जिसकी आवश्यकता इंड-एएस को लागू करने हेतु हो सकती थी उदाहरणतः परिसम्पत्तियों और देयताओं के समूह "चालू " और " गैर-चालू " के रूप में बनाये गये है।

अगस्त 2013 में एक नया कम्पनी अधिनियम 2013 बनाया गया है। अधिनियम में उल्लेख किया गया है कि वितीय विवरण केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित लेखाकरण मानकों के अनुसार होंगे और कम्पनियों के वर्ग अथवा वर्गों के लिए मुहैया कराए गए फार्म अथवा फार्मों में होंगे। यह चरणों में इन्ड-एएस के कार्यान्वयन को सरल बनाएगा।

परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्यांकन आईएफआरएस के महत्वपूर्ण पहलू हैं, नए कम्पनी अधिनियम में पंजीकृत मूल्यांकन कर्ता द्वारा मूल्यांकन के लिए संबद्ध धारा, मूल्यांकन कर्ता के उत्तरदायित्व के रूप में भी सम्मिलित है।

4.2.5 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

एमसीए ने 26 जुलाई 2010 को जापान के साथ आईएफआरएस से सम्मिलन के संबंधित जानकारी प्रभावी रूप से बाँटने के उद्देश्य से एक समझौते ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के अनुसार दोनों देश 2010 से तीन वर्षों हेतु वार्षिक इंडिया जापान आईएफआरएस संवाद को रखने में मुख्यतः आपसी सहयोग के लिए सहमत हुए। एमओयू के अधीन पांच संयुक्त कार्यकारी ग्रुप भी स्थापित किये गये थे: आईएफआरएस से संबंधित मामलों का पता लगाने के लिए अपनी जानकारी एवं अनुभव को दोनों देशों के नियामक, लेखांकन मानक सैटर्स, सनदी/प्रमाणित लेखा कर संस्थान, उद्योग प्रतिनिधियों और स्टॉक एक्सचेंज को सांझा करने के लिए।

4.3 इन्ड-एएस के कार्यान्वयन की स्थिति

4.3.1 रोड़ मैप के अनुसार इन्ड-एएस कार्यान्वित नहीं किया गया

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमसीए इसके कार्यान्वयन पर आम सहमति के अभाव के आधार पर मुख्य रूप से इसके अधिसूचित रोड़ मैप के अनुसार इन्ड-एएस के कार्यान्वयन की तिथि अधिसूचित नहीं कर सका। अन्य कई विनियामक मुद्दों का भी समाधान किया जाना चाहिए था जैसे बैंकों और बीमा जैसी नियामक इकाईयों द्वारा अपनाए जाने वाला दृष्टिकोण।

4.3.2 आईएफआरएस में संशोधन

कई आईएफआरएस में संशोधन चल रहा था तथा कुछ नये आईएफआरएस प्रक्रिया अधीन थे। इसमें नये इन्ड-एएस की अधिसूचना की तरह अधिसूचित इन्ड-एएस में संशोधन एवं सुधार की आवश्यकता है।

4.3.3 आईएफआरएस से विचलन

अभी तक अधिसूचित इन्ड-एएस में आईएफआरएस से कतिपय विचलन थे। ये विचलन उन अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों/अन्य पणधारियों के बीच चिंता का विषय हो सकती थी जो विचलनों से संतुष्ट नहीं थे। विचलनों के प्रभाव का सम्मिलन के लाभों को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी।

4.3.4 उचित बाजार मूल्यांकन

आईएफआरएस वित्तीय विवरणों की अधिकतर पदों को मूल्यांकन करने के लिए माप आधार के रूप में उचित मूल्य का उपयोग करते है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पूर्ण सटीकता के साथ देयताओं और विभिन्न परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के सत्यापन और अवधारण करने के लिए विश्वसनीय तंत्र और बुनियादी ढांचा विद्यमान है। सम्मिलन, अन्यथा, वित्तीय विवरणों में वस्तुनिष्ठता और आस्थिरता ला सकता है।

4.3.5 अनिश्चिता के दौरान प्रारंभिक प्रयास

पर्याप्त बुनियादी ढांचा, व्यवसायिक विशेषज्ञ और आईटी अनुप्रयोगों की शर्तों में सम्मिलन के प्रति सुगम परिवर्तन के लिए आवश्यक है। वर्तमान रूप में, पणधारियों के लिए कार्यान्वयन की तारिख स्पष्ट नहीं है। पणधारी तब तक अपने प्रारंभिक प्रयासों में विलम्ब कर सकता है जब तक कि रोड़ मैप को संशोधित नहीं कर दिया जाता है और विधिवत निश्चितता के साथ अधिसूचित नही कर दिया जाता।